5/8/2024	पत्रा. पेश हुई। वकुम अपना बहस प्रार्थना-पत्र एवं हैतराज प्रा० पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी वकील का कहना है कि तहसीलदार नदबई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये हो स्वयं तहसीलदार मौके पर नहीं गये है केवल आई. एल. आर एवं पटवारी मौके पर गये है। मौके पर मकान नहीं है केवल कोठरी बनी हुई है। अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट मौके के विपरीत है। प्रार्थीगण DLC रेट देने को तैयार है अतः 20ft चौडा रास्ता 3985 में से दिलाया जावे। अप्रार्थी वकील का कहना है कि नियम [illegible] मण्डल, अजमेर अनुसार ILR [illegible] का मौके ~~पर~~ रिपोर्ट नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दे सकता। मौका अनुसार बनाई गई है। खसरा नं. 3939 की सीमा 3935 से लगती है 3935 में से दो बयनामा हुए है प्रस्तावित रास्ता की आराजी का बेचान अनीता व सुरेन्द्र को हो चुका है। प्रस्तावित रास्ते वाले जमीन नगरपालिका के नाम है। जिसको पक्षकार नहीं बनाया है।
	हमने उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस प्रार्थना-पत्र ऐतराज एवं बहस 251 क के तहत सुनी गई। मौका रिपोर्ट नियमानुसार बनाई गई है। अतः आपत्ति मौका रिपोर्ट प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।
	प्रार्थना-पत्र 251 क के तहत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होने से सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाबत [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

न्याय

प्रकरण सं. 17
किस्म प्रार्थना
निर्णय दिनां

1. कु
2.
3.
4

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 17 / 2022
किस्म प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 05.08.2024

1. कुन्जबिहारी पुत्र मोती जाति जाट निवासी बैलारा, तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
2. हिम्मत सिह पुत्र मोती जाति जाट निवासी बैलारा, तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.
3. गुड्डी पुत्री मोती जाति जाट निवासी बैलारा, तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
4. त्रिवेणी पत्नि मोती जाति जाट निवासी बैलारा, तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
5. सुनीता पुत्री मोती जाति जाट निवासी बैलारा, तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
6. सीमा पुत्री मोती जाति जाट निवासी बैलारा, तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवान सिंह पि0 सुगन जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
2. बहादुर सिंह पि0 सुगन जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
3. महावीर सिंह पि0 सुगन जाति जाट निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.।
4. राज. सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।

1. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नदबई जरिये प्रबंधक

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री लक्ष्मण सिंह एड.(प्रार्थी की ओर से)

श्री अशोक कुमार एड. (अप्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) आर.टी.ए.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है कि–

1. यह कि प्रार्थीगण 1 लगायत 6 की आराजी खसरा नंबर 3939 रकबा 0.01 गैर मुमकिन बौरिंग, 1940 रकबा 0.61 किता 2 रकवा 0.62 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई द्वितीय तहसील नदबई में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण खातेदार एव अभिधारी हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 खसरा नम्बर 3935 रकवा 0.16 वाके कस्बा नदबई द्वितीय के अभिधारी है। अप्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर 3935 वाके करबा नदबई द्वितीय में होकर प्रार्थीगण अपने ख्सरा नम्बर 3939 व 3940 में आने जाने का यानि की आवागमन का 20 फीट चौडा रास्ता है इनके अलावा प्रार्थी के आवागमन का कोई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं है। गैर मुमकिन सडक के खसरा नम्बर 3945 में चल कर व उसके बाद खसरा नम्बर 3944 वाके कस्बा नदबई द्वितीय में होकर अप्रार्थी के खसरा नम्बर 3935 वाके कस्बा नदबई द्वितीय में 20 फीट चौडे रास्ते में होकर प्रार्थी के ट्रेक्टर ट्रॉली एवं अन्य वाहन का अपने खसरा नम्बर 3939 व खसरा नम्बर 3940 में कृषि जिंस एवं कृषि औजार लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता है।जो 20 फीट चौडा है।
2. यह है कि अप्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर 3935 वाके कस्बा नदबई द्वितीय में 20 फीट चौडे रास्ते विद्यमान रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के ख्सरा नम्बर 3939 गैर मुमकिन बोरिंग व खसरा नम्बर 3940 वाके कस्बा नदबई द्वितीय में आने जाने का यानि की आवागमन का 20 फीट चौडा रास्ता है। उक्त रास्ता आपसी सहमति से चला आ रहा है। इनके अलावा प्रार्थी के आवागमन का काई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं है।
3. यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 नं अप्रार्थीण संख्या 4 के अधिनस्थ हल्का पटवारी से मिलकर प्रार्थीगण को दिनांक 4.7.2023 को वमुकाम कस्बा नदबई तहसील नदबई पर यह एलानियां धमकी दी है कि वे प्रार्थीगण के खातेदारी के खसरा नम्बर 3939 रकवा 0.01, 3940 रकवा 0.61 वाके कस्बा नदबई द्वितीय तहसील नदबई में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:38 IST
Reason: SelfAttested

5/8/24

Scanned with CamScanner

आवागमन के विद्यमान रास्ते 20 फीट चौडे को जो कि अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 3935 के अप्रार्थीगण अभिधारी है। इस बिना पर अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 अप्रार्थी संख्या 4 से मिलकर पुख्ता दीवार बनाकर बंद कर देंगें। इससे प्रार्थीगण को अजीम क्षति होगी।

4. इसके अलावा प्रार्थी के आवागमन का काई भी वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त विद्यमान रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है।

5. यह है कि अप्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर 3935 वाके कस्बा नदबई द्वितीय में होकर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 3939 गैर मुमकिन बोरिंग व खसरा नम्बर 3940 वाके कस्बा नदबई द्वितीय के लिए 20 फीट चौडा रास्ता बाबत् श्रीमानजी के आदेशानुसार उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना जरूरी है।

6. यह है कि प्रार्थीगण भूमि दरों का भुगतान यानि की दुगुना प्रतिकर देने को तैयार है।

7. यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 5 के यहां विवादित आराजी के रहन रखे होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

1. यह कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह विवादित आराजी की रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

अतः श्रीमानी से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के तहत् स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 3939 गैर मुमकिन बोरिंग व खसरा नम्बर 3940 वाके कस्बा नदबई द्वितीय के लिए अप्रार्थीगण के उक्त खसरा नम्बर 3935 वाके कस्बा नदबई द्वितीय में होकर 20 फीट चौडा विद्यमान रास्ते को राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में अभिलिखित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अप्रार्थी वकील न्यायालय में उपस्थित

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:38 IST
Reason: SelfAttested

/8/24

Scanned with CamScanner

आये । अप्रार्थी वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) का जबाब पेश किया। जो संक्षेप में निम्नानुसार है–

1. यह है कि वावजद लाइल्मी स्वीकार मद संख्या 1 नहीं है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 जिस प्रकार वर्णित की गई है, वह स्वीकार नहीं है। शेष उजरात मजीद में दर्ज है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 जिस प्रकार वर्णित की गई है, वह स्वीकार नहीं है। शेष उजरात मजीद में दर्ज है।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 जिस प्रकार वर्णित की गई है, वह स्वीकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को कोई एलानियां धमकी नहीं दी गई है। इसलिए बिना कॉज ऑफ एक्शन प्रार्थी को विरूद्व अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र लाने का कोई हक नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र बिना कॉज ऑफ एक्शन काबिल खारिजी के है।शेष उजरात मजीद में दर्ज है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 जिस प्रकार वर्णित की गई है। वह स्वीकार नहीं है। मौके पर वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थी को अन्य कोई किसी प्रकार की रास्ते की आवश्यकता नहीं है। शेष उजरात मजीद में दर्ज है।
6. यह कि मद सं. 6 जिस प्रकार वर्णित की गई, स्वीकार नहीं है। प्रार्थी के पास पहले से रास्ता मौके पर खसरा नम्बर 3939, 3940 में जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता राजेन्द्र एवं अन्य की ओर तथा पूर्व दिशा में अब भी है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। शेष उजरात मजीद में दर्ज है।
7. यह कि मद सं. 7 जिस प्रकार वर्णित की गई है। जिस प्रकार स्वीकार नहीं है। रास्ता मौजूद है अब कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं है। शेष उजरात मजीद में दर्ज है।
8. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 8 कानूनी है व काबिल गौर अदालत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:38 IST
Reason: SelfAttested

8/24

Scanned with CamScanner

उजरात मजीद

1. यह कि आराजी खसरा नम्बर 3935 जो हाल रिकॉर्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकॉर्ड है तथा नगरपालिका नदबई के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा खसरा नम्बर 3935 से रास्ता चाहा गया है ता नगरपालिका नदबई को मुकदमा पक्षकर भी नहीं बनाया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।
2. यह कि आराजी खसरा नंबर 3939, 3940 में जाने के लिए प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है।जो खसरा नम्बर 3936 जो गैर मुमकिन आबादी आम रास्ता है एवं खसरा नम्बर 3937 जो आशा देवी, उमेश चंद, उर्मिला देवी, चरनसिंह, चीनू, छीतरमल, नवीन कुमार, निरंजन लाल, मीनू , मोनिका , रज्जों सिंह, रीनू, सुरेशचंद के नाम खातेदारी में 3937 व 3938 दर्ज रिकॉर्ड है। एवं खसरा नम्बर 3942 में सभी प्रार्थी का खसरा नम्बर 3939 एवं 3940 में जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौके पर मोजूद है। जो गैर मुमकिन आबादी में दर्ज है। इसलिए प्रार्थी को किसी अन्य रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता नहीं है। खसरा नम्बर 3936 में से खसरा नम्बर 3940 में जाने के लिए गैर मुमकिन रास्ता सुगम व कम दूरी को तय करता हुआ मौके पर मौजूद है। खसरा नम्बर 3935 का पूर्व मे अप्रार्थीगणों के मध्य बंटवारा हो चुका है। जिसकी बंटवारा अनुसार मौके पर दीवान बनी हुई है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।
3. यह है कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 3939 में बिना कन्वर्जन कराए बिना पैमाइश के बिना परमीशन के निर्माण कार्य कर रखा है। उक्त मकान के आवागमन हेतु प्रार्थीगणों द्वारा रास्ता चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार 251 क में प्रार्थना पत्र केवल कृषि उपयोग हेतु आमद रफ्त के लिए रास्ता हेतु आवेदन किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र 251 ए काबिल खारिजी के है। प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र 251 ए पेश किया है। वह 251 ए के प्रोपर से भिन्न है। इसलिए [illegible] पत्र 251 ए काबिल खारिजी के है। प्रार्थी द्वारा जिस जगह से रास्ता चाहा [illegible] है वहां पर अप्रार्थीगणों की आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:38 IST
Reason: SelfAttested

5/8/24

Scanned with CamScanner

नहीं है। वातरफ पूर्व सुरेन्द्र पुत्र नरेन्द्र व अनीता पत्नि सुरेन्द्र की आराजी है। जो जरिये वयनामा खरीद की गई है।

4. यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर सही तथ्य .छिपाकर न्यायालय को गुमराह कर पेश किया गया है। इसलिए न्यायालय का अमूल्य समय बर्बाद किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र 11000/–रूपया काबिल खारिजी के है।

5. यह कि अप्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थी को दिनांक 04.07.2023 या अन्य किसी तिथि को कोई धमकी नहीं दी है इसलिए बिना धमकी कोई कॉज ऑफ एक्शन खिलाफ अप्राथीगण पैदा नहीं होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र बिना कॉज ऑफ एक्शन खिलाफ अप्रार्थीगण पैदा नहीं होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र बिना कॉज ऑफ एक्शन काबिल खारिजी है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ताओ की ओर से बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत सुनी गई प्रार्थना पत्र एवं जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से अपने प्रार्थना पत्र 251 ए के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2074–2077 कस्बा नदबई द्वितीय, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2070–2073 कस्बा नदबई द्वितीय, नक्शा ट्रेस बाके ग्राम कस्बा नदबई द्वितीय आदि दस्तावेजात पेश किये गये । अप्रार्थीगणों की ओर से अपने जबाव प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2074–2077 कस्बा नदबई द्वितीय खसरा नम्बर 3936 व 3942, जमाबंदी संवत् 2074–2077 कस्बा नदबई द्वितीय खसरा नम्बर 3937 व 3938, 3944 एवं वयनामा प्रतिलिपि दिनांक 28.12.2020 पेश किये गये ।

हमने वकील उभयपक्षकारान की बहस को सुना, मनन किया एवं पत्रावली पर उपलवध राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार नदबई की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया । बहस पर मनन किया तो पाया कि यहाँ पर खसरा नम्बर 3935 वाके कस्बा नदबई द्वितीय में होकर प्रार्थीगण के ख्सरा नम्बर 3939 गैर मुमकिन बोरिंग व खसरा नम्बर 3940 वाके कस्बा नदबई द्वितीय के लिए 20 फीट चौडा रास्ता बाबत् श्रीमानजी के आदेशानुसार उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया है। तहसीलदार नदबई की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.05.2024 के [illegible]सार खातेदार को खेत पर पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। यह आ[illegible] नहीं है, जोत पर पहुंचने के लिए गै

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:38 IST
Reason: SelfAttested

5/8/24

Scanned with CamScanner

मुमकिन रास्ता उपलब्ध है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 3935 नगरपालिका नदबई के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार तहसीलदार नदबई का परीक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (क) के प्रावधानों के अनुकूल प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण को मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 3936 में से खसरा नम्बर 3940 में जाने के लिए गैर मुमकिन रास्ता सुगम व कम दूरी को तय करता हुआ मौके पर मौजूद है। जो लघुत्तम या निकटतम रूट को धारित करता है। प्रार्थी द्वारा रास्ता रिहायशी उपयोग हेतु चाहा गया है, जबकि केवल जोत के लिए रास्ता दिया जाने का प्रावधान है। अतः प्रावधान यहां भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सिद्वान्तों के अनुकूल न होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.8.24 को न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

5/8/24
(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 14:49:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner